

सं०सं०-16/एम.1-68/2025

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त(वि०दा०नि०को०)विभाग,
बिहार, पटना-800015

पटना, दिनांक-

विषय:- पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन सख्या 06/2020 के अंतर्गत बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सख्या-303(आ.चि.), दिनांक-14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को पूर्णतः औपबधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना स०-744 (आ.चि.), दिनांक-19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला संयुक्त औषधालयों/राजकीय औषधालयों/आयुष कॉलेज अस्पतालों में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

अतः निम्नांकित नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि (कॉलम-4) को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

11/02/2026

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थल | अवधि जिनका विनियमन किया जाना है। | अवकाश उपभोग की सूचना | यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या | यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या | सेवा विनियमन के प्रकार |
|----------|---|--|--|----------------------|---|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | डा० ओम प्रकाश कुमार, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धिबाढार, हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | दिनांक- 18.03.2024 से 20.07. 2024 तक 125 दिन | — | 19112425056601 | — | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |
| 2 | डा० शालिनी श्रीवास्तव, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छपरा बहास, सुगौली, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | दिनांक-18 03 2024 से 20.07. 2024 तक 125 दिन | — | 18112425056482 | — | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |
| 3 | डा० पल्लवी कुमारी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पखनहिया, रामगढवा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी | दिनांक-16 03 2024 से 20.07. 2024 तक 127 दिन | — | 27112425057188 | — | पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि |

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार एवं सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-16/एम.1-68/2025 - 257 (अ.चि.)

पटना, दिनांक-12.2.2026

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संबंधित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/संबंधित सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव